

# फद अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

SDO

मुकाम

बडीसादडी

श्री शिरालाल

बनाम

श्री मोहनलाल

किस्म मुकदमा

53 R.T.A.C

नं.

80/18

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30/5/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट किरतपुरा पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया के शिरालाल / वामीराज मोहन, मोहनलाल कौशिक लाल मोहन, कलकान्ठ गायलाल मोहन द्वारा राजीनामा कर वाद पत्र पेश किया गया है।</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <del>मलवा</del> 1 शिरालाल / वामीराज मोहन 569/1, 0.19 1.33 2 मोहनलाल कौशिक-मल / गजकुमार 569 भा. 0.20 1.40</p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

30/5/18  
(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS



Web Copy - Not Official